बिहार विधान परिषद

(203 बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

5 अप्रील2023

[**सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी**].

Total Short Notice Question- 16

पर्यटक स्थल के रूप में विकसित

*119 **डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

क्या **पर्यटन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिला के कुशेश्वरस्थान (पूर्व) प्रखण्ड अन्तर्गत बाबा कुशेश्वर धाम मंदिर एवं तिलकेश्वर धाम अवस्थित है जो कि उत्तर बिहार का प्रमुख तीर्थ स्थल है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थानों पर सालोभर दूर-दूर से पर्यटक दर्शन करने के लिए आते रहते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मेधासूची में वॉलीबॉल खिलाड़ियों को समाहित कबतक

*132 **श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2020 में बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के आलोक में उक्त नियमावली की अनुसूची - 1 एवं 3 में उल्लेखित खेल प्रतियोगिताओं में शामिल खेल विधाओं के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की राज्य सरकार के समूह 'ग' के अंतर्गत लिपकीय संवर्ग एवं कार्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त नियमावली की अनुसूची - 1 एवं 3 में खेल प्रतियोगिता में शामिल खेल विधाओं में एक खेल विधा वॉलीबॉल भी है;

(ग) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित विज्ञापन के लिए आवश्यक अर्हता वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों ने भी निश्चित समयावधि में आवेदन किया था;

(घ) क्या यह सही है कि खंड 'ग' में विभाग द्वारा दिनांक – 23.12.2022 को प्रकाशित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु प्रथम चरण की औपबंधिक मेधासूची में वॉलीबॉल के खिलाड़ियों को समाहित नहीं किया गया है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मेधासूची में वॉलीबॉल के खिलाड़ियों को समाहित नहीं करने से खिलाड़ियों में निराशा का भाव उत्पन्न होता है, इस भेद-भाव को खत्म करना चाहती है?

पदस्थापन कबतक

*158 **श्री भूषण कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य आवास बोर्ड में भू-संपदा पदाधिकारी का पद 21.02.2020 से ही रिक्त पड़ा हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि भू-संपदा पदाधिकारी का पद लंबे अरसे से रिक्त रहने के कारण आम जनता के कार्यों में बहुत बाधा उत्पन्न हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार राज्य आवास बोर्ड में वर्षों से रिक्त पड़े भू-संपदा पदाधिकारी के पद पर शीघ्रातिशीघ्र पदस्थापन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सुविधा केन्द्र शुरू

***159 मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
कृया मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) कृया यह सही है कि राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्र में आर.टी.पी.एस. काउन्टर चालू नहीं एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं रहने के कारण लोगों को जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगर निकायों में आर.टी.पी.एस. काउन्टर सुविधा केन्द्र शुरू करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पर्यटन कबतक

***160 श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

क्या **पर्यटन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) कृया यह सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रखंड कुटुंबा के परता धाम में कल्पवृक्ष अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2012 में परताधाम प्रवास के दौरान स्वयं परता धाम कल्पवृक्ष को पर्यटन मानचित्र पर लाने हेतु आश्वासन दिया था;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार परता धाम कल्पवृक्ष को पर्यटक मानचित्र पर लाने हेतु विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्ति

***161 श्री अशोक कुमार पाण्डेय (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) कृया यह सही है कि पटना जिले के दानापुर नगर परिषद् अन्तर्गत आर.पी.एस. मोड़ से सगुना मोड़ तक जानेवाली सर्विस लेन में अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि खण्ड 'क' में वर्णित सर्विस लेन से निकलने वाले मंगलम पथ के प्रारंभ में अवैध निर्माण के कारण सड़क संकरी हो गई है जिससे आवागमन में नागरिकों को काफी असुविधा हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध निर्माण

को हटाकर उक्त सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

मानदेय का पुनरीक्षण

*162 **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या- 12534, दिनांक- 17.09.2018 द्वारा संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए मानदेय / पारिश्रमिक पुनरीक्षण के लिए दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त संकल्प के परिशिष्ट 'क' की कंडिका 2 में अंकित किया गया है कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए मानदेय / पारिश्रमिक का पुनरीक्षण किया जायेगा, किन्तु पांच वर्ष बीतने के बावजूद आज तक मानदेय / पारिश्रमिक का पुनरीक्षण नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा है कि बाजार दर को देखते हुए पारिश्रमिक का निर्धारण किया जायेगा;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए मानदेय / पारिश्रमिक का पुनरीक्षण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

अतिक्रमण से मुक्त

*163 **डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड संख्या- 2 में लोहियानगर पीपुल्स को-ऑपरेटिव कॉलोनी के सेक्टर सी. के सी.सी.- 49 एवं 50 द्वारा 30 फीट से सड़क को अतिक्रमित कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी, पटना को आवेदन दिया गया है परन्तु अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि अतिक्रमण होने के कारण आम जनता को काफी कठिनाई होती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पीपुल्स कॉपरेटिव कॉलोनी के सेक्टर सी में सी.सी.49 एवं 50 द्वारा सड़क को किए गए अतिक्रमण से मुक्त कराकर आवागमन सुगम बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

भूमि सुधार हेतु कार्रवाई

***164 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत अंचल- वीरपुर, थाना- वीरपुर, ग्राम- पानापुर में एराजी से संबंधित खाता नं.- 01, खेसरा नं.- 04, थाना नं.- 439, रकबा- 92 डिसमिल जमीन स्व. रेवती रमण सिंह के नाम से निबंधित है;

(ख) क्या यह सही है कि खण्ड 'क' में वर्णित जमीन को सर्वे कर्मचारी द्वारा बिहार सरकार का कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि सुधार हेतु उत्तराधिकारी द्वारा दिनांक- 14.12.22 को बिहार भूमि न्यायाधिकरण पोलो रोड- पटना को आवेदन दिया गया जिस पर संज्ञान लेते हुए पत्रांक- 56, दिनांक- 11.01.23 को न्यायाधिकरण द्वारा जिलाधिकारी बेगूसराय को भूमि सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया;

(घ) क्या यह सही है कि पुनः आवेदक द्वारा दिनांक- 02.02.23 को बंदोबस्त पदा०, बेगूसराय एवं निदेशक, भूमि सुधार विभाग, पटना को भूमि सुधार हेतु आवेदनपत्र दिया गया लेकिन अबतक भूमि सुधार की कार्रवाई नहीं हो सकी है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सर्वे कर्मचारी द्वारा बिहार सरकार की, की गई जमीन को सुधारकर खण्ड 'क' में वर्णित व्यक्ति के नाम से यथाशीघ्र करना चाहती है?

पथ का पक्कीकरण

***165 श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड सं.- 30 अन्तर्गत रामकृष्णा नगर के ज्योतिष जी पथ, एन एच 30 से देवेन्द्र सिंह के मकान से विरेन्द्र सिंह के मकान तक लगभग 1 किलोमीटर पथ कच्ची एवं ऊबड़-खाबड़ हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पथ कच्ची एवं ऊबड़-खाबड़ होने से लोगों को पैदल चलने में तथा बरसात के दिनों में जल-जमाव के कारण भी काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ का पक्कीकरण एवं जल-जमाव की जो समस्या है, उसका निवारण करना चाहेंगी, यदि हां तो कबतक?

आई.टी. हब के रूप में विकसित

*166 **श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि सूचना प्रौद्योगिकी रोजगार का बड़ा क्षेत्र है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार के युवा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एवं देश के अन्य कई भागों में काम कर रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अन्य राज्य की तरह बिहार को भी आई.टी. हब के रूप में विकसित करने हेतु जिससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हो सके प्राईवेट सेक्टर के बड़े निवेशकों एवं आई.टी. कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए कोई योजना बना रही है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

बकाया मानदेय का भुगतान

*167 **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या **मंत्रिमंडल सचिवालय** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार विकास मिशन अंतर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के संचालन हेतु सिंगल विंडो ऑपरेटर / मल्टी परपस असिस्टेंट का चयन बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सूचना प्रावैधिकी विभाग के ज्ञापांक- 830, दिनांक- 04.07.2018 से डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन पुनर्निर्धारण एवं 10% वार्षिक मानदेय वृद्धि देय है;

(ग) क्या यह सही है कि जनवरी, 2023 में बेल्ट्रॉन द्वारा अन्य विभागों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को 30,178 रु. मानदेय दिया जा रहा है जबकि बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही चयनित बिहार विकास मिशन में कार्यरत सिंगल विंडो ऑपरेटर को वर्तमान में मात्र रु. 23,090 मानदेय दिया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार विकास मिशन में कार्यरत सिंगल विंडो ऑपरेटर का मानदेय अन्य विभागों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर के समान करते हुए 01 जनवरी, 2018 से अभी तक के बकाया मानदेय का भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

नाला एवं सड़क का निर्माण

***168 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी प्रखंड के अनीसाबाद चित्रगुप्त समाज कमिटी से एम्स तक जाने वाली नहर शीट इन्डेक्स नं.- 2805026603503 में प्लॉट नं.- 1210 एवं 121 पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नगर के अगल-बगल निवास करने वाले लोगों को अतिक्रमणकारियों की वजह से काफी परेशानी एवं गंदगी का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि वह इलाका काफी संकीर्ण आबादी वाला रहने के कारण वहां स्थायी रूप से निवास करने वाले लोगों को उक्त नहर में नाले का पानी गिराने के कारण कई प्रकार की भयंकर बीमारी होने की संभावना बनी रहती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नहर के लिए भूगर्भ नाला एवं उसके ऊपर पी.सी.सी. सड़क का निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मानदेय वृद्धि का लाभ

***169 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के ज्ञापांक- 488, दिनांक- 07.03.2019 द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायकों के लिए मानदेय का निर्धारण किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि मिशन के पत्रांक- 488, दिनांक- 07.03.2019 की कंडिका 5 में निहित है कि मूल मानदेय पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देय होगी, इसकी गणना प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को आधार मानकर की जायेगी;

(ग) क्या यह सही है कि नये नियोजन के मामले में पिछले मानदेय वृद्धि की तिथि अथवा नियोजन की तिथि से सफल सेवा के 01 वर्ष पूर्ण किये जाने की स्थिति में 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई से आर्थिक लाभ देने का प्रावधान है;

(घ) क्या यह सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पत्रांक- 488, दिनांक- 07.03.2019 में मानदेय का निर्धारण दिनांक- 01.07.2018 के प्रभाव से किया गया है, लेकिन जो कार्यपालक सहायक दिनांक- 01.07.2018 को अपनी सफल सेवा के 07 वर्ष

पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें भी वार्षिक वृद्धि का लाभ दिनांक- 01.07.2019 से दिया जा रहा है, जबकि उन्हें यह लाभ दिनांक- 01.07.2018 से मिलना था;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दिनांक- 01.07.2018 को सफल सेवा प्राप्त किये हुए कार्यपालक सहायक जो 07 वर्ष या उससे अधिक हैं, को मानदेय निर्धारण की तिथि दिनांक- 01.07.2018 से 10 प्रतिशत मानदेय वृद्धि का लाभ देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

अतिक्रमण से मुक्ति

*170 **डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के बख्तियारपुर नगर परिषद् वार्ड नं.- 09 अन्तर्गत बख्तियारपुर स्टेशन रोड से होते हुए अम्बेदकर नगर को जोड़ने वाली सड़क पर असामाजिक तत्व द्वारा अतिक्रमण कर रास्ता पूर्णतः अवरूद्ध कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर अतिक्रमण के कारण स्थानीय नागरिकों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित स्थान से अतिक्रमण हटाकर स्थानीय लोगों को सुविधा मुहैया कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अंचलाधिकारी की नियुक्ति

*171 **श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत फुलवारी, पुनपुन एवं संपतचक आदि के अंचलाधिकारी का पद काफी दिनों से रिक्त है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सभी अंचल राजधानी पटना से सटे होने के कारण इन अंचलों पर कार्य भार अधिक होता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त अंचलों में कनीय अधिकारी से काम लिया जा रहा है, जिस कारण कार्य का निष्पादन त्वरित नहीं हो रहा है, जिससे आमलोगों में काफी आक्रोश है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अंचलों में अंचलाधिकारी की नियुक्ति तत्काल करना चाहेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?